

11/03/26

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रकाराने अधिवक्ता
 उपस्थित। अल आवेदन का निस्तारण
 हो चुका है। अल आवेदन के निस्तारण
 होने से ^{उक्त} प्रार्थना पत्र को अलग से
 चलाने जाने का कोई। आंचित्य नही होने
 से उक्त प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर
 खारिज किया जाता है। पत्रावली फेराल
 शुमार लेकर दाखिले दफ्तर हो खम
 नंबर से कम हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 चौहटन

